

राजस्थान राज्य
प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

वार्षिक प्रतिवेदन

2014—15

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाणा ढुँगरी,
जयपुर—302017

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

वार्षिक प्रतिवेदन (2014–2015)

परिचय

औद्योगीकरण के सतत विस्तार तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्यापक स्वरूप धारण करती जा रही है। इस संदर्भ में समुचित पर्यावरणीय संतुलन रथापित करना और अनेकानेक स्त्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, आर्थिक विकास से संबंधित सभी नीतियों का एक अत्यंत आवश्यक आयाम बन गया है। तत्संबंधी विभिन्न प्रयासों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है।

केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 में निहित दायित्वों के निर्वहन में, राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1975 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण एवं नियमन सुनिश्चित करना है। मण्डल मूलतः निम्नलिखित अधिनियमों एवं इनके अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचनाओं तथा नीति-निर्देशों की अनुपालन कराने के लिए उत्तरदायी है:-

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974.
2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977.
3. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981.
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986.
5. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991.

मण्डल का गठन

मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल अधिनियम में तत्संबंधी वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। मण्डल में पूर्णकालिक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव तथा 15 अंशकालिक सदस्य मनोनीत हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान मण्डल का गठन निम्नानुसार रहा :–

1	श्रीमती अपर्णा अरोरा	अध्यक्ष
2	डॉ. डी. एन. पाण्डेय	सदस्य-सचिव
3	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग या उनके प्रतिनिधि जो उप शासन सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य (सरकारी)
4	संयुक्त शासन सचिव एवं निदेशक, पर्यावरण विभाग	सदस्य (सरकारी)

5	आयुक्त, परिवहन विभाग	सदस्य (सरकारी)
6	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य (सरकारी)
7	विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-३) विभाग	सदस्य (सरकारी)
8	प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर	सदस्य (बोर्ड या निगम)
9	प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम	सदस्य (बोर्ड या निगम)
10	श्री रामेश्वर दाधीच, महापौर, नगर निगम, जोधपुर	सदस्य (स्थानीय निकाय)
11	डॉ. रतना जैन, महापौर, नगर निगम, कोटा'	सदस्य (स्थानीय निकाय)
12	श्री कमल बाकोलिया, महापौर, नगर निगम, अजमेर'	सदस्य (स्थानीय निकाय)
13	श्री भवानी शंकर शर्मा, महापौर, नगर निगम, बीकानेर'	सदस्य (स्थानीय निकाय)
14	श्री केवल चन्द गुलेच्छा, अध्यक्ष, नगर परिषद, पाली'	सदस्य (स्थानीय निकाय)
15	श्री आर. जी. सोनी, पी.सी.सी.एफ. (रिटायर्ड)	सदस्य (गैर सरकारी)
16	डॉ. ए. बी. गुप्ता, प्रोफेसर, एम.एन.आई.टी.जयपुर'	सदस्य (गैर सरकारी)
17	श्री नरेन्द्र छाजेड़	सदस्य (गैर सरकारी)

'नोट:- क्रम संख्या 10 से 14 एवं 16 को अधिसूचना दिनांक 19.04.2011 द्वारा तीन वर्ष के लिये राज्य मण्डल का सदस्य मनोनीत किया गया था। तीन वर्ष की अवधि दिनांक 18.04.2014 को समाप्त हो चुकी थी।

मण्डल का कार्यक्षेत्र समूचा प्रदेश है। इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा जयपुर सहित कुल 13 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त राज्य के चार अन्य स्थानों पर मण्डल की क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। आठ नवीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं, अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित करने का काम प्रगति पर है। मण्डल में विभिन्न स्तरों के कुल 370 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 274 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत रहे जो तकनीकी, विधि, लेखा एवं सामान्य संवर्गों में विभाजित हैं।

वर्ष 2014–15 के दौरान मण्डल की एक बैठक दिनांक 12.09.2014 को आयोजित की गई।

मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ

सम्मिति प्रबंधन, परिसंकटमय, जैव चिकित्सा एवं नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन/उपचार/निस्तारण हेतु प्राधिकार, परिसंकटमय अपशिष्ट के पुनर्वर्कण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु पंजीकरण, उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषित जल एवं वायु की जांच, पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना एवं जल तथा वायु अधिनियमों में उल्लिखित कृत्यों का निर्वहन मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान मण्डल की तत्संबंधी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

सम्मति एवं प्राधिकार प्रबंधन

- वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाईयों एवं अन्य परियोजनाओं के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन के कुल 9892 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
- वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा खनन इकाईयों के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन के कुल 9611 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
- वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन, हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2008 के अन्तर्गत कुल 97 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
- वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 के अन्तर्गत कुल 1494 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन, हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में आलोच्य वर्ष तक परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले 1044 उद्योगों को चिह्नित किया गया है। इन चिह्नित उद्योगों में से 158 उद्योग वर्तमान में बंद हैं अथवा परिसंकटमय अपशिष्ट जनित नहीं करते हैं, 31 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा बहुत कम है एवं 107 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट मात्र उनके डी. जी. सेट/ कम्प्रेशर से निकलने वाले spent/ used oil के रूप में है तथा 67 दवा/ कीटनाशक बनाने वाली इकाईयों द्वारा उनके निर्माण के दौरान जनित अनुपयोगी उत्पाद एवं समय सीमा समाप्ति वाले उत्पाद से न्यूनतम मात्रा में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित होता है। शेष 681 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा अधिक होने से उन्हें परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले उद्योगों की सूची में रखा गया है।

इन 681 उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा लगभग 828467 मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस अपशिष्ट की अधिकांश मात्रा मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (8 इकाईयाँ) एवं सामूहिक उच्छिष्ट उपचार संयन्त्रों (7 इकाईयाँ) से जनित होती है एवं जिनकी अनुमानित मात्रा क्रमशः लगभग 597582 एवं 18595 मैट्रिक टन प्रति वर्ष (कुल 616177 मैट्रिक टन प्रति वर्ष) है, जबकि राज्य के अन्य उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा लगभग 212290 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है।

परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा

राज्य के उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के नियमानुसार निष्पादन के लिए राज्य में सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण की सुविधाओं का विकास किया गया है। इन निस्तारण सुविधाओं से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं—

1. ग्राम गुड़ली, तहसील मावली, जिला उदयपुर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।
2. ग्राम खेड़, तहसील बालोतरा, जिला बाड़मेर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।
3. अन्य सुविधाएँ – उच्च कैलोरी क्षमता वाले परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बहरोड़, जिला अलवर में मैसर्स कान्टीनेन्टल पेट्रोलियम प्रा० लि० में स्थित भर्सक (incinerator) को सामूहिक भर्सीकरण (incineration) हेतु प्राधिकृत किया गया है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन

वर्ष 2014–2015 तक राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में 500 एवं अधिक बिस्तरों के 12 अस्पतालों, 200 से 499 बिस्तरों के 48 अस्पतालों, 50 से 199 बिस्तरों के 299 अस्पतालों, 49 बिस्तरों तक के 2813 अस्पतालों एवं 1159 डायग्नोस्टिक सेन्टर, परामर्श केन्द्र आदि को चिह्नित किया गया है। इनसे अनुमानतः 16.75 टन जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा

राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु वर्ष 2014–2015 तक कुल 11 सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विकास कर कार्यरत किया गया है तथापि दो सामूहिक उपचार भण्डारण एवं व्ययन सुविधा मैं राजपुताना बायोटेक प्रा.लि., ग्राम-खोरिपारा, आगरा रोड, जयपुर एवं हॉसविन राजपुताना इन्सीनरेटर ग्राम थिनला, सवाईमाधोपुर वर्तमान में बन्द है। इसके अतिरिक्त धौलपुर जिले में स्थित हैथ केर इस्टेब्लिशमेंट्स से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधा में भी किया जाता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु विकसित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	सामूहिक सुविधा स्थल का नाम एवं कार्यस्थल	लाभान्वित शहर / जिले
1	इन्सट्रोमेटिक इण्डिया प्रा. लि., ग्राम-खोरिपारा, आगरा रोड, जयपुर।	जयपुर (सिटी)
2	राजपूताना बायोटेक प्रा. लि.** ग्राम – खोरिपारा, आगरा रोड, जयपुर।	जयपुर ग्रामीण एवं दौसा
3	एनविजन एनवायरो इंजिनियर्स प्रा. लि., ग्राम-उमरदा, उदयपुर।	जिला उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, एवं डूंगरपुर
4	सेल्स प्रमोटर, ग्राम-केरु, जैसलमेर रोड, जोधपुर।	जिला जोधपुर, पाली

5	सेल्स प्रमोटर, ग्राम—सांदरिया, अजमेर	जिला अजमेर, भीलवाड़ा एवं नागौर (आंशिक)
6	इटेक प्रोजेक्ट, गोगा गेट, बीकानेर	जिला बीकानेर, नागौर (आंशिक) एवं चूरू
7	इटेक प्रोजेक्ट, अभोर बाईपास रोड, हनुमानगढ़	जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर
8	हॉस्पिन इन्सीनरेटर, जैलवैल के सामने, खसरा नं. 645 / 256, रुन्डी धूनी नाथ, अलवर।	जिला अलवर एवं भरतपुर
9	हॉस्पिन राजपुताना इन्सीनरेटर, ** ग्राम—थिनला, सवाईमाधोपुर।	जिला सवाईमाधोपुर, टोंक एवं करौली
10	हॉस्पिन इन्सीनरेटर, ग्राम—धानवारा, झालावाड़	जिला झालावाड़ एवं बाराँ
11	राजदीप बायोटेक, ग्राम—बोरावास, कोटा	जिला कोटा एवं बून्दी

नोट – ** वर्तमान में बन्द है।

संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र (CETP)

राज्य में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योग समूह मुख्य रूप से पाली, जोधपुर, बालोतरा, जसोल, बिठुजा एवं सौंगानेर में कार्यरत हैं। इन लघु उद्योगों के पास स्वयं के स्तर पर प्रदूषित जल के उपचार हेतु समुचित उच्छिष्ट उपचार संयंत्र लगाने के लिए न तो आवश्यक तकनीक है और न ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध होती है। अतः इस तरह के उद्योग समूह से जनित प्रदूषित जल को उपचारित करने हेतु संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की जाती है।

राज्य में लघु उद्योग समूहों से जनित जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वर्ष 2014–2015 तक बारह संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इन बारह संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों में से चार संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र पाली (जिला पाली) में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योगों के लिए, दो-दो संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बालोतरा (जिला बालोतरा) एवं जसोल (जिला बालोतरा) में कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बिठुजा (जिला बिठुजा) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र जोधपुर (जिला जोधपुर) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र एवं स्टील री-रोलिंग उद्योगों के लिए तथा एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र मानपुर-माचेड़ी (जिला जयपुर) में वहाँ स्थापित चर्म शोधन उद्योगों के लिए कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र भिवाड़ी (जिला अलवर) में रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जल प्रदूषक उद्योगों के लिए भी कार्यरत है।

भिवाडी स्थित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र में औद्योगिक क्षेत्र एवं समीप की आवासीय बस्तियों का घरेलू उच्छिष्ट भी पहुंचता है। इन संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य में कार्यरत संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र

क्र सं	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थल एवं स्थान	स्थापना/ प्रारम्भ वर्ष	संयुक्त उच्छिष्ट उपचार क्षमता	उद्योग जिनके लिए व्यवस्था स्थापित की गई
1	प्रथम संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. -1) मणिडया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली	1983	05.20 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
2	द्वितीय संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. -2) मणिडया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली	1997	08.40 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
3	तृतीय संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. -3) पुनायता रोड, जिला पाली	1999	09.08 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
4.	चतुर्थ संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. -4) औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, जिला पाली	2009	12.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
5	प्रथम संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. -1) बालोतरा, जिला बाडमेर	2000	06.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
6	द्वितीय संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. -2) बालोतरा, जिला बाडमेर	2006	12.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
7	जसोल, जिला बाडमेर	2004	02.50 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग

8	जसोल, जिला बाडमेर	2013	4.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
9	बिठुजा, जिला बाडमेर	2006	30.00 एम.एल.डी.	वस्त्र उद्योग
10	सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय चरण, सांगरिया, जिला जोधपुर	2004	20.00 एम.एल.डी.	वस्त्र एवं स्टील री-रोलिंग उद्योग
11	रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, जिला अलवर	2004	06.00 एम.एल.डी.	जल प्रदूषक उद्योग एवं आवासीय बस्तियों का मल-जल
12	रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर	2002	00.60 एम.एल.डी.	चर्मशोधन उद्योग

सीवेज उपचार संयंत्र (STP)

राज्य में वर्ष 2014–2015 तक कार्यरत मल–जल उपचार संयंत्रों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

राज्य के कार्यरत मल–जल (सीवेज) उपचार संयंत्र

क्र.सं.	स्थल	क्षमता (एम.एल.डी.)
1	आमेर रोड, जिला–जयपुर	27
2	डेलावास—I, जिला–जयपुर	62.5
3	डेलावास-II, जिला–जयपुर	62.5
4	जयसिंहपुरा खोर, जिला–जयपुर	50
5	जवाहर सर्किल, जिला–जयपुर	1
6	रामनिवास गार्डन जिला–जयपुर	1
7	अग्यारा रामगढ़, जिला–अलवर	20
8	भिवाड़ी जिला–अलवर	4
9	नान्दड़ी, जिला–जोधपुर	20
10	सालावास (फेज-I), जिला–जोधपुर	50

11	सवाईमाधोपुर, जिला—सवाईमाधोपुर	10
12	वल्लभ गार्डन, जिला—बीकानेर	20
13	भीलवाड़ा सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लांट—I, जिला— भीलवाड़ा	5.5
14	गजोधर पुरा, जिला—जयपुर	30
15	एकलिंगपुरा, उदयपुर, जिला—उदयपुर	20
16	स्वर्ण जयंती पार्क, विद्याधर नगर, जिला—जयपुर	1
17	भीलवाड़ा एसटीपी—II, जिंदल शाह	4
18	ईएसआई हॉस्पिटल, मंडिया रोड, पाली	7.5

प्रदूषित जल एवं वायु की जांच

वर्ष 2014–2015 के दौरान राज्य मण्डल की प्रयोगशालाओं द्वारा जल, उच्छिष्ट, परिवेशी वायु, उत्सर्जित गैसों एवं ध्वनि स्तर के नमूनों के विश्लेषण संबंधी किए गए कार्य का विवरण निम्नानुसार हैः—

नमूनों के प्रकार	विश्लेषित नमूनों की संख्या
जल / उच्छिष्ट	4019
उत्सर्जित वायु/गैस	1406
परिवेशी वायु	32044
ध्वनि स्तर	464
योग	37933

जनचेतना

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जागृत करने एवं प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु मण्डल में प्रदूषण जागरूकता एवं सहायता केन्द्र कार्यरत है।

वर्ष 2014–2015 के दौरान राज्य मण्डल के मुख्य कार्यालय द्वारा पर्यावरण/जल/वायु के प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निराकरण संबंधी की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :-

1.4.2014 को लम्बित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निष्पादित शिकायतों की संख्या	31.3.2015 को लम्बित शिकायतों की संख्या
30	65	95	60	35

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारियों को कुल 245 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन सभी प्रकरणों में मांगकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना की आपूर्ति की गई।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपील अधिकारी के समक्ष 75 अपीलें दायर की गई। इन सभी का निस्तारण किया गया।

पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006

- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा आलोच्य वर्ष में 8 विभिन्न औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाओं, 1 आधारभूत परियोजना तथा 120 खनन परियोजना प्रकरणों की जन सुनवाई आयोजित की गई एवं प्रकरण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान को अग्रेषित किये गये।

विधिक कार्यवाही

- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विभिन्न उद्योगों/ खनन इकाइयों/ व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों के विरुद्ध वर्ष 2014–15 में कुल 16 विधिक अभियोजन दायर किये गये।
- वर्ष 2014–15 में राज्य मण्डल द्वारा विभिन्न अधिनियमों का उल्लंघन करने के कारण कुल 774 इकाइयों को निर्देश जारी किये गये। इनमें से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 33 ए के अन्तर्गत 256 इकाइयों, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 31 ए के अन्तर्गत 414 इकाइयों एवं जल व वायु अधिनियम के अन्तर्गत 97 अन्य इकाइयों को तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत 7 इकाइयों के विरुद्ध निर्देश जारी किये गये।

विविध गतिविधियाँ

राज्य मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक परियोजना के अन्तर्गत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर परिवेशीय वायु की मोनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में इस अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 5 प्रमुख नगरों के औद्योगिक, आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में 21 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता अनुश्रवण के इस कार्य के लिए

अलवर, कोटा एवं उदयपुर में 3-3 स्थानों पर तथा जयपुर एवं जोधपुर में 6-6 स्थानों पर परिवेशी वायु नमूनों को एकत्रित करने हेतु प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये हुए हैं।

मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक अन्य परियोजना के तहत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर सतही एवं भूगर्भीय जल स्त्रोतों के जल की गुणवत्ता के आंकलन के लिए नियमित रूप से जल के नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जा रहा है। राज्य मण्डल द्वारा राज्य के 21 जिलों के 128 केन्द्रों पर प्राकृतिक जल की गुणवत्ता जांचने हेतु जल स्त्रोतों का प्रबोधन किया जा रहा है। उपरोक्त स्थानों में नदियों के जल के नमूने एकत्र करने की आवृति मासिक, झीलों की त्रैमासिक एवं कुओं की छःमाही है। 128 जल नमूना एकत्रीकरण केन्द्रों में से 15 केन्द्र नदियों पर, 27 केन्द्र झीलों पर एवं 86 केन्द्र भूगर्भीय जल स्थानों (कुए, हैण्डपम्प, ट्यूबवेल) पर चिन्हित किए हुए हैं।

राज्य में निवेश का वातावरण बनाने एवं उद्योगों के कार्य करने के सरलीकरण के लिए राज्य मण्डल द्वारा अनेक कदम उठाय गये उनमें से प्रमुख हैं:-

1. औद्योगिक इकाइयों की सुविधा हेतु राज्य मण्डल में प्रस्तुत किये जाने वाले सम्मति आवेदनों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रारम्भ की गई है।
2. इकाइयों के सम्मति एवं प्राधिकार प्रबंधन संबंधी आवेदन पत्रों के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्रकाशित की गई है।
3. राज्य में सौर एवं वायु ऊर्जा उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु सौर एवं वायु ऊर्जा उत्पादन इकाइयों एवं पार्कों का हरी श्रेणी में वर्गीकरण एवं सम्मति प्रबंधन में सरलीकरण किया गया है।
4. राज्य मण्डल में सम्मति, प्राधिकार प्रबंधन एवं पंजीकरण संबंधी आवेदन पत्रों की जांच में समानता/एकरूपता एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु ऑपरेटिंग मेनुअल प्रकाशित कर इसके अनुरूप कार्य किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

राज्य मण्डल के वित्त एवं लेखे

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य मण्डल की आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

आय (लाख रूपये में)		व्यय (लाख रूपये में)	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त अनुदान	55.00	वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय	1755.56
जल उपकर पुनर्भरण	0.00	कार्यालय व्यय	334.62
सम्मति शुल्क	3805.41	प्रयोगशाला व्यय	32.30
पी.डी.खाते से व्याज	52.41	विज्ञापन एवं प्रकाशन	20.74
बैंक / एफ.डी.आर. पर व्याज	2907.90	अनुसंधान एवं विकास	59.03

आय (लाख रुपये में)		व्यय (लाख रुपये में)	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
अन्य ब्याज	20.81	पूँजीगत व्यय	40.99
विविध आय	25.61	के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त राशि	1.49
नमूना विश्लेषण	18.02	के विरुद्ध व्यय	
बी.एम.डब्ल्यू	81.68		
योग	6966.84	योग	2244.73

जल उपकर निर्धारण एवं वसूली

वर्ष 2014–2015 के दौरान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा जल उपकर निर्धारण, वसूली, केन्द्र सरकार को प्रेषित राशि एवं केन्द्र सरकार से पुनर्भरण राशि का विवरण निम्नानुसार है :

उपकर राशि का विवरण	राशि (लाख रुपये में)
जल उपकर निर्धारण की राशि	1445.21
जल उपकर के रूप में वसूल की गई राशि	1165.78
केन्द्र सरकार को प्रेषित जल उपकर की राशि	1016.11
केन्द्र सरकार से जल उपकर पुनर्भरण की राशि	0



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जयपुर